राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धन्ना बनाम बिरदा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/06/2026 को पेश हो।	
03/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 26.06.2006 को पेश किया और कथन किया कि वादीगण के पिता गणेश पुत्र हुकमा मीणा की कब्ज़े काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं 52 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं 53 रकबा 2 बिस्वा, खसरा 58 रकबा 19 बिस्वा, खसरा 54/397 रकबा 12 बिस्वा, कुल 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम सुजानपुरा में स्थित चली आ रही है। एकीकरण कि कार्यवाही के दोहरान खसरा नं 58 में से 10 बिस्वा व खसरा नं 59 में से 8 बिस्वा, कुल 18 बिस्वा भूमि का नया नं 23 कायम कर दिया गया। इसके अलावा वादीगण की भूमि खसरा नं 53 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं 54/397 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं 52 रकबा 11 बिस्वा को वादी की भूमि खसरा नं 20 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में शामिल कर दिया गया। ऐसा करने का कोई अधिकार एकीकरण अधिकारीयों व कर्मचारियों को नहीं था। आगे यह वर्णित किया गया कि भूमि खसरा नं 20 में से 506 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त किये जाने का नोटिस अख़बार में प्रकाशित किया गया लेकिन क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सम्पूर्ण मुआवजा उठाना चाहते हैं। जबकी वादीगण उक्त भूमि में 1/2 हिस्से के स्वामी व मालिक हैं। यह भी वर्णित किया गया कि दिनांक 04.06.06 को जब वादीगण ने प्रतिवादी सं 1 से 1/2 हिस्से का मुआवजा प्राप्त करने की बात कही तो प्रतिवादी न साफ़ इनकार कर दिया। अंत में वादीगण ने खसरा नम्बर 20 में उन्हें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	धन्ना बनाम बिरदा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	134/2020	

प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये कतई स्पष्ट नही किया गया है कि एकीकरण की कार्यवाही करीबन वर्ष 1962 को होने के उपरान्त विचाराधीन वाद प्रस्तुत करने के मध्य की अवधि तक एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती दी गयी थी अथवा नही एवं क्या एकीकरण की कार्यवाही को विधिअनुसार निर्धारित अवधि के उपरान्त चुनौती दी जा सकती है अथवा नही | जबकी अधीनस्थ न्यायालय को उक्त उल्लेखित विधिक विन्दु एवं प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विवेचन किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण एवं त्रुटीपूर्ण प्रतीत होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विस्तृत विवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर